[illegible] ... द्वारा
न्यायिक कार्य ... अधिकार रखने
से पत्रावली दिनांक 10/1/23 को पेश हो।

13/1/23 [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible]
[illegible] से बाहर हैं। अवकाश पर है / [illegible]
[illegible] पत्रावली दिनांक 24.1.23 [illegible] हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

24-1-23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थी
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प०
किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी बार रूक-रूक कर
आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके
विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया
जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्राव
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:46:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 260/22 प्रा.पत्र

श्री अमृत लाल s/o श्री मोहनलाल जीनगर निवासी माण्डल तहसील-माण्डल [भील०]

–प्रार्थी

बनाम

श्री हेमा s/o श्री हरा भील निवासी-उम्मेदपुरा तहसील-माण्डल (भील०)
(संलग्नित प्रार्थपत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक – 24.1.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 9936/1018 कुल किता 01 रकबा 1.3911 हैक्टयर स्थित है। तादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 20.12.22 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि यादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 9936/1018 कुल किता 01 रकबा 1.3911 हेक्टयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति ... चिन्ह को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:46:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा